न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु0 नं0	दायर दिनांक	अ0धा0	निर्णय दिनांक
69/2020	19.08.2020	91 एल.आर.एक्ट	16.07.2020

सरकार **बनाम** करणसिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी गुढा गौड़जी

16.07.2020 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का दुड़िया द्वारा संवत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम दुड़िया पटवार हल्का दुड़िया के भूमि खसरा नं0 2067/675 रकबा 0.32 है0 किस्म बंजड़ बीड़ के 0.16 है0 रकबे पर करणसिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी गुढा गौड़जी ने फाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दुड़िया के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बाद तामिल नोटिस आदिनांक तक कोई जवाब पेश नही किया। अतः अप्रार्थी के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम दुड़िया पटवार हल्का दुड़िया के भूमि खसरा नं0 2067/675 रकबा 0.32 है0 किस्म बंजड़ बीड़ के 0.16 है0 रकबे पर किया गया अतिकमण अवैध होने के कारण अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। पटवारी हल्का दुड़िया एवं भू0अ0नि0 गुढ़ागौड़जी को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप लगान 1.00 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 50/- रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 16.07.2020 को सुनाया गया।

उप तहसीलदार
उपतहसील गुढ़ा गौड़जी

नायब तहसीलदार
उपतहसील गुढागौड़जी